अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 37/2011

वकील सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 209, दिनांक 13.01.2011 के विरूद्व दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 08.12.2010 को 10.00 बजे पूर्वाहन में वकील सिंह, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०–55/2007, सा०–गंगौली,पंचायत–गंगौली, प्रखंड–मशरक, थाना–मशरक जिला–सारण की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल (प्र०वि०पदा०,मशरक एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,तरैया) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताए पाई गयी– (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बन्द पाई गई तथा विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (3) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों द्वारा उपरोक्त कागजात जांच हेतु प्रस्तुत नही किया गया। (4) विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकार नही दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी/किरासन तेल/ का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कर कालाबाजार में बेच दिया जाता है।	

(5) विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि उन्हें दो माह पर एक बार तीन लीटर किरासन तेल मिलता है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 3646 ,दिनांक 24.12.2010 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से अपनी दूकान खोलकर दूकान का संचालन किया जाता है। जांच की तिथि 08.12.10 को विक्रेता अपने हदय रोग की इलाज हेतु डॉक्टर के यहॉ गये हुए थे। जांच कार्य में जानबुझ कर असहयोग करने के लिए उनकी दूकान बंद नही की गई थी। सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका समूचित रूप से संधारित था, लेकिन हो सकता है कि लिखावट के हल्की रहने की वजह से जांच पदाधिकारी को वह न दिखा हो। दूकान की चाभी विक्रेता के पास थी, जिस वजह से दूकान खोलकार भंडार दिखाना या कागजात प्रस्तुत करना परिवार के सदस्यों के द्वारा संभव नही हो सका। विक्रेता के विरूद्ध गवई राजनीति के तहत उनके कुछ विरोधियों के द्वारा उन्हें परेशान करने की नीयत से गलत आरोप लगाये गये है। उनके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप गलत है, एवं व्यक्गित दूश्मनी से प्रभावित है। विक्रेता के द्वारा अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण निगरानी समिति के समक्ष किया जाता है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 209, दिनांक 13.01.2011) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के दिरूद्ध दिए गए कुल 4 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी

प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 346 /न्या0, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/5/15